प्रेषक

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर।

सेवा में

प्रबन्धक. ग्रीन हैवन इंगलिस एकेडमी मदनपुरा,म्जपफराबाद, सहारनप्र।

पत्रांक/मान्यता/ ५८१১ — १८

/2013-14/दिनाक //· ? - 3 नि:शुल्का और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की घारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उप नियम (4) के अधीन ग्रीन हैवन इंगलिस एकेडमी मदनपुरा मुजप्रकेशबाद, सहारनपुर की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

विषय:-

आपके दिनांक 30.10.2012 के आवेदन और इस सम्बन्ध में पश्चातवर्ती मत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से में ग्रीन हैवन इंगलिस एकेडमी सद्भपुरा मुजपफराबाद, सहारनपुर को दिनांक 29.06.2013 से दिनांक 28.06.2016 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं। उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है—

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / सम्बंधन करने के

लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जपाबंध 1 और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्ष का अधिकार अधिनियम 2010 उपाबंध 2 के उपबंधों का पालन करेगा।

3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथा रिधति नर्सरी कक्षा) में, उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ीस के कमज़ीर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक वैक्र खाता खोलेगा।

सोसाईटी / विद्यानय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक याउसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6 विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की घारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा--

(1) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(2) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडम के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार नि:शक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया

(6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकर्थित न्यूनतम अर्हता के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यामान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हता नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर रिसी न्यूनतम अर्हता अर्जित करेंगे।

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विर्निदिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है। और (8) अध्यापक

स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेगे ।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्य चर्चा के आधार पर पाठ्यकम् का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। उर्तिग निरीक्षण के समय रिपोट की गई प्रसुविधाये निम्नानुसार है। विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

कल निर्मित क्षेत्र विडा स्थल का क्षेत्रफल

ereen Heaven Boglish Acades Madanpura, (Saharanpus)



कक्षाओं की संख्या प्राध्यापक सह कार्यालय सह भण्डारागार के लिए कक्ष बालक-बालिकाओं के लिए पृथक शोवालय पेयजल सधिधा मिड-डे-गील पकाने के लिए रसोई

बाघा रहित पहुंच अच्यापन पुठन-सामग्री / कीडा खेलकूद उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्बता

9 विद्यालय के परिसरो भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं बलाई जायेगी

10 विद्यालय भवनो था अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

11. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाईटी द्वारा या

तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12 स्कूल को किसी व्यष्टि; व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा

13: विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टेड एकाउंटेट द्वारों संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रगणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए — प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजनी चाहिए। १/०/३ 14 आपके विद्यालय को आबंदित मान्यता कोड संख्यांक है। कृष्

/... है। कृप्या इसे नोट कर लें। और इस कार्यालय के

साथ किसी पत्रामार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपॉट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निवेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अप्रेक्षित हो। और समुचित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों काअनुपालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्य-करण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाये।

16. सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि हो तो सुनिश्चित किया जाये।

A THE PROPERTY OF THE PARTY OF

是1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1

17, संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी /2013<del>...</del>14/दिनांक तदैव।

पुंठसंठ / मान्यता /

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सहायक शिक्षा विदेशक, (बेसिक), सहारनपुर मुण्डल, सहारनपुर।

सम्बन्धित खण्ड र्नगर शिक्षा अधिकारी जनपदं साहारतपुर।

TO THE STATE OF TH

जिला बेंसिक शिक्षा अधिकारी: ्र सहारतपुर।

rroen Heaven English Acades Madanoura, (Saharanoue)

Continued in a second

Market Mark